

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/राँची/हजारीबाग/याँ०
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित निकासी एवं एवं व्ययन
पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखंड।

राँची, दिनांक : 16/12/19

विषय :- वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 49S27010300107 अन्तर्गत 8 कार्यालयों को विभिन्न मदों में कुल रु 71.05 लाख (एकहत्तर लाख पाँच हजार रुपये मात्र) अतिरिक्त राशि आवंटित करने के संबंध में।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2019-20 में बजट मुख्य शीर्ष 2701- मध्यम सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट-I में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख ₹ में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग/ 2701-मध्यम सिंचाई	03- मध्यम सिंचाई वाणिज्यिक	001-निदेशन तथा प्रशासन/ 07-मध्यम सिंचाई परियोजना	71.050

कुल आवंटित राशि - रुपये एकहत्तर लाख पाँच हजार मात्र


- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट उपबंध राशि ₹ 11206.80 लाख (एक सौ बारह करोड़ छः लाख अस्सी हजार मात्र) के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003, 1362 दि० 09.05.2016 2747(वि०) दि० 19.09.2016 के आलोक में होगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी हैं। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- आवंटित राशि से दिनांक 15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि के अनुमान्य राशि का भुगतान उक्त इकाई में आवंटित राशि से ही किया जायेगा।
- जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव

7. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
8. सेवानिवृत्त कर्मियों को अनुमान्य एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता की निकासी वित्त विभाग का पत्रांक-170 दिनांक-01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायगी।
9. वित्त विभाग के पत्रांक-29/बी०टी०ई०-18/2014-15/300 दिनांक-30.03.2015 के आलोक में 15.11.2000 के बाद के बकाया वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वेतन मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
10. मकान किराया भत्ता मद में आवंटित राशि का भुगतान नियमानुसार सक्षम स्तर से किराया निर्धारण तथा अन्य संबंधित आवश्यक अभिलेखों की उपलब्धता के उपरांत ही अनुमान्य राशि तक सीमित कर किया जाएगा।
11. यदि आवंटित की गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं दिया जायेगा। अतिरिक्त आबंटन की अधियाचना के विरुद्ध आबंटन तभी निर्गत किया जायेगा जब पूर्व निर्गत आबंटन के विरुद्ध शत-प्रतिशत व्यय सुनिश्चित कर लिया जायेगा।
12. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का तुरंत प्रत्यापण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यापण **Online** किया जाय। साथ ही इकाईवार पूर्ण प्रत्यापण प्रतिवेदन हार्ड कापी में **Acces No** एवं **Revoke/Surrender No** का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।
13. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
14. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
15. देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत्त कर्मियों को सेवानिवृत्ति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुक्रमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान कालानुक्रमिकानुसार (chronological order) किया जाय।
16. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च 2020 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे।


नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।
अनु. :- यथोक्त


(अरुण कुमार सिंह) 14.12.19
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :- 177

रॉची, दिनांक :- 16/12/19

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. -हिन्सू रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरंडा/देवघर /सिमडेगा/हजारीबाग/राजमहल सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनु. :- यथोक्त



(अरुण कुमार सिंह) 14.12.19
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :- 177


रॉची, दिनांक :- 16/12/19

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, ज ल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता(मो.), रॉची/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग को पाँच प्रति/कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, प्रमंडल-3, को Online Sanction निर्गत करने हेतु/प्रशाखा-7 को पांच अतिरिक्त प्रतियों में/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग/ वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त


(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)


(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव


(अरुण कुमार सिंह) 14.12.19
अपर मुख्य सचिव

मुख्य शीर्ष-2701-मध्यम सिंचाई/उप मुख्य शीर्ष-03-मध्यम सिंचाई-वाणिज्यिक
लाघु शीर्ष-001-निदेशन तथा प्रशासन/उप शीर्ष-07-मध्यम सिंचाई परियोजना
मार्ग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

पत्रांक: 177 दिनांक: 16/12/19 का अंगुलनामक

परिशिष्ट I

वित्तीय वर्ष 2019-2020		वित्तीय शीर्ष-01-वैतन एवं नगरे		वित्तीय शीर्ष-02-यात्रा व्यय		वित्तीय शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय										वित्तीय शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां		वित्तीय शीर्ष-07-अन्य व्यय		राशि लाख रुपये में	
क्र.सं.	कार्यालय का नाम	वैतन	वैतन के पूर्व का बकाया	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया,रस्ते कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	बर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मत	विविध प्रसार	कुल योग	अतिरिक्त							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	मुख्य अधिकारी यांत्रिक, सैदी	4852701030010	28.000	0.000	0.200	1.050	0.000	0.250	0.250	0.000	0.900	1.000	0.000	0.000	31.650						
	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.100	0.000	0.300	0.000	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.650							
	कुल आवंटन	28.000	0.000	0.200	1.350	0.000	0.500	0.250	0.000	0.900	1.000	0.000	0.000	32.300							
2	रूपांकण आयोजन एवं मोटरगाड़ियां अवल, सैदी	4852701030010	178.000	0.000	0.200	0.500	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.400	0.000	0.000	179.550						
	अतिरिक्त आवंटन	66.000	0.000	0.200	0.200	0.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	66.400							
	कुल आवंटन	244.000	0.000	0.200	0.700	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.400	0.000	245.950							
3	रूपांकण अवल, देववर	4852701030010	95.000	0.000	0.300	0.600	0.000	0.150	0.050	0.000	0.250	0.600	0.300	0.300	98.050						
	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.500							
	कुल आवंटन	95.000	0.000	1.100	0.800	0.000	0.150	0.050	0.000	0.250	0.600	0.300	0.300	98.550							
4	सिंचाई अवल, जसीडीह	4852701030010	180.000	0.000	0.900	0.600	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.400	0.200	182.150							
	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.900	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	0.100	183.400							
	कुल आवंटन	180.000	0.000	1.800	0.850	0.000	0.100	0.100	0.000	0.500	0.400	0.300	0.300	316.950							
5	जलपथ प्रगंडल सं-2, हजारीबाग	4852701030010	314.000	0.000	0.400	0.650	0.000	0.200	0.150	0.000	0.000	0.000	0.000	0.650							
	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.100	0.200	0.000	0.200	0.150	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.650							
	कुल आवंटन	314.000	0.000	1.000	0.850	0.000	0.300	0.250	0.000	0.500	0.300	0.300	0.300	317.600							
6	जलपथ प्रगंडल सं-1, सिमडेगा	4852701030010	308.000	0.000	0.000	0.650	0.000	0.100	0.000	0.500	0.300	0.300	0.300	311.450							
	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.900	0.000	0.000	0.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.100							
	कुल आवंटन	308.000	0.000	2.500	0.650	0.000	0.300	0.000	0.500	0.300	0.300	0.300	0.300	312.550							
7	पुनर्वास पराधिकारी, देववर	4852701030010	67.000	0.000	0.200	0.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.100	67.800							
	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.100	67.900							
	कुल आवंटन	67.000	0.000	0.200	0.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.200	67.900							
8	पुनर्वास पराधिकारी, मध्यम सिंचाई परियोजना, सैदी	4852701030010	108.000	0.000	0.000	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.300	0.400	108.800							
	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.200	0.000	0.100	0.400	109.200							
	कुल आवंटन	108.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.150	0.000	0.200	0.300	0.100	0.400	109.200							
	अतिरिक्त आवंटन का योग	66.000	0.000	0.300	2.400	0.950	0.000	0.650	0.250	0.000	0.200	0.300	0.300	71.050							

नोट: विल विभाग के पत्रांक 11/विधि-14/2010-39/बजट दि० 04.02.13 के आलोक में विद्युत मर में दिनांक 31.03.2013 तक का बकाया शून्य मानते हुए नये सिरे से विधिवत्करण के आधार पर ही गुणतान अनुमान है।

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि-

रुपये एकहजार लाख पाँच हजार मात्र

राजेश प्रसाद
उप सचिव (अभि.)

(सत्येन्द्र नारायण उपपाध्याय)
संयुक्त सचिव

(अरुण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

(14.12.19)